न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/01/2015	10–02–2015	13–12–2019

1– सुरेश,

2– सुखबीर,

3– महेश पुत्रान श्री अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– सन्दीप,

2– कमलेश पुत्रान् भीमसिंह,

3– किताबो बेवा भीमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जाट बहरोड़ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

4– तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर का निर्णय सनद् पट्टा सं0 262 दिनांक 30.09.1982

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलांट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर का निर्णय सनद् पट्टा सं0 262 दिनांक 30.09.1982, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट्स को दि0 14.05.2013 को हुई। अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट्स को सुना गया और ना ही विधिक प्रक्रिया अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा वाके ग्राम भुनगड़ा ठेठर तहसील मुण्डावर की आराजी है। जिस आराजी का हम अपीलांट्स के पिता अमर सिंह पुत्र कन्हीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्रम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर काबिज काश्तकार पट्टेदार/गैर खातेदार था। जो अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के उपरांत हम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अपीलांट्स काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हम अपीलांट्स के नाम जमाबंदी सवत् 2035 में पट्टेदार का इन्द्राज हो रहा है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 782/191 रकबा 0.38 है0 व 783/191 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर कायम हुए है। गत खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा में से 01 बीघा 10 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 782/191 रकबा 0.38 है0 को राजस्व रेकॉर्ड में खिलाफ कानून रैस्पो0 के पिता/पति भीमसिंह ने अपने नाम अंकन करा लिया तथा सनद् पट्टा 262 दि0 30.09.1982 अपने नाम जारी कराकर खातेदारी इंतकाल तस्दीक करा लिया। उक्त आराजी का कोई हस्तानांतरण हम अपीलांट्स के पिता अमरसिंह ने अपने जीवनकाल में भीमसिंह को नहीं किया। ना ही भीमसिंह उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल में कभी काबिज रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे की कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गयी। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 30.09.1982 पट्टा सं0 262 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 782/191 रकबा 0.38 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा में से बना है, जमाबंदी सवत् 2035 में अपीलांट्स के पिता के नाम पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है। नकल खसरा सैटलमेंट सवत् 2024 के कॉलम नं0 24 में भी उक्त आराजी अपीलांट्स के पिता के नाम पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व एवं वर्तमान रेकॉर्ड का पूर्ण अवलोकन तथा मौका जांच किये बिना रैस्पो0 के पिता के नाम पट्टा जारी किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का पट्टा सं0 262 निर्णय दिनांक 30.09.1982 निरस्त किया जाकर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेकॉर्ड एवं मौका जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० * प्रशासन (द्वितीय) अलवर *
राजस्थान सरकार